

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय

NO 563

मिस्र केस नं० 242/16

और तारख
1

13/03/18

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
धारा - 107 द० प्र० सं०
2

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारिख के साथ
3

01/10/16

राज्य
बनाम
कालीचरण शीवल एवं अन्य

प्रथम पत्र

थाना प्रभारी..... ने अप्राथमिकि
सं० के द्वारा सूचित किया है कि
..... को लेकर दोनों पक्षों से शांति भंग की
सम्भावना है अतः उन्होंने दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं०
के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है।

13.10.16
27.10.16
21.11.16
द्वितीय पत्र 12.12.16
13.12.16

थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त कारण से
दोनों पक्षों से शांति भंग की सम्भावना है अतः धारा 107 द० प्र० सं०
की कार्यवाही दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रारम्भ की जाती है। सुचना निर्गत
कर कारण पृच्छा की मांग करें कि एक साल तक शांति बनाये रखने
हेतु प्रत्येक से तीन-तीन हजार रुपये का बंध पत्र दो प्रतिभु के साथ
प्रत्येक उसी राशि का दाखिल करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

2-01-17
30-01-17
20-02-17
9-03-17
6-04-17

अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।

29-4-17
17-5-17
2-06-17

लेखापित

04/10/16

अनुमण्डल पदाधिकारी
सरायकेला

16-06-17
5-07-17
21/08/17
7-08-17
23-8-17
13-09-17
08-10-17
03-11-17

07/10/16

अभिलेख दिनांक उपस्थापित किया गया
मिस्र का न्यायालय कलकत्ता के सामने
द्वितीय पत्र 13/14 सप्टेम्बर उपस्थापित
दोनों पक्षों के बीच पत्र दाखिल किया
पदिनांक सत्य रूप में दाखिल अभिलेख
दिनांक 13-10-16 को उपस्थापित करें।

S.R. Received

21-11-17
8-12-17
22-12-17
15-1-18
02-02-18

13/10/16

अभिलेख दिनांक उपस्थापित किया गया
मिस्र का न्यायालय कलकत्ता के सामने
द्वितीय पत्र

अनुसूची : 14 फारम सं० : 563

आदेश पर की
कारवाई के बाद
की तारीख सह
3

आदेश की
कम संख्या
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बाद में
टिप्पणी तारीख सहित
3

2

13-3-18

अभिमान विप्लववादी विचारों को समाप्त
करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए
आदेश जारी किया गया है।
अतः अभिमान विप्लववादी कार्यवाही
समाप्त की जाती है।


13/3/18